रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-28032023-244734
SG-DL-E-28032023-244734

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 107]	दिल्ली, मंगलवार, मार्च 28, 2023/चैत्र 7, 1945	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 584
No. 107]	DELHI, TUESDAY, MARCH 28, 2023/CHAITRA 7, 1945	[N. C. T. D. No. 584

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

समाज कल्याण विभाग

(प्रशासन शाखा)

अधिसूचना

दिल्ली, 24 मार्च, 2023

फा. 44(292)/2017/स.क.वि./स्था./आरआर (एमटीएस)/23631–23636.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 840 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सरकार द्वारा जारी दिनांक 28.12.2020 की अधिसूचना सं. फा. **44(292)/2017/स.क.वि./स्था./आरआर (एमटीएस)/1329** के अधिक्रमण में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा समाज कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में ''मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस)'' के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :– (i) इन नियमों कों ''मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस)'' भर्ती नियमावली, 2023 कहा जायेगा।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :–पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

3 **भर्ती पद्धति, आयु–सीमा तथा अन्य योग्यता इत्यादि** :–उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :–ऐसा कोई भी व्यक्ति,

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है।

वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :–जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्व करते हुए तथा आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।

6. **बचावः**–इन नियमों की किसी भी बात का केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों या अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण, अपेक्षित आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	**पदनाम**	:	**एमटीएस**
2.	**पदों की संख्या**	:	176(एक सौ छिहत्तर) (2023) *परिवर्तन कार्यभार के आधार पर निर्भर है
3.	**वर्गीकरण**	:	समूह 'ग' अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	**वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर**	:	वेतन मैट्रिक्स स्तर :1 (18000–56900/–रुपये)
5.	**क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद**	:	लागू नहीं
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु–सीमा**	:	18 एवं 25 वर्ष के बीच **टीप**–आयु–सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि डीएसएसएसबी/सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविज्ञाप्ति होगी । यदि भर्ती रोजगार केन्द्र के माध्यम से की जाती है तो आयु–सीमा निर्धारित करने की अन्तिम तिथि वह होगी जिसे रोजगार केन्द्र में नाम प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि माना गया है । **(टिप : यदि भर्ती डीएसएसएसबी या किसी अन्य समान भर्ती एजेंसियों के माध्यम से की जाती है तो उस स्थिति में आयु सीमा 18–27 वर्ष के रूप में निर्धारित की जा सकती है अन्यथा 18–25 वर्ष तक रखा जा सकता है ।)**
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ**	:	मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन अथवा इसके समकक्ष योग्यता ।
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु–सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	:	लागू नहीं
9.	**परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	:	दो वर्ष
10.	**भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावे"ान द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाल रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	सीधी भर्ती द्वारा
11.	**यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड**	:	लागू नहीं

	जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया जाना है		
12.	**यदि कोई विभागीय स्थायीकरण समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है?**	:	समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति की संरचना (स्थायीकरण हेतु): 1. प्रधान सचिव / सचिव (प्रशा0सु0) –अध्यक्ष 2. संबंधित विभागाध्यक्ष –सदस्य 3. उप सचिव (सा0प्र0वि0) –सदस्य 4. विभागीय स्थायीकरण समिति की उपरोक्त संरचना के अनुसार वरिष्ठतम अधिकारी बैठक की अध्यक्षता करेगा ।
13.	**वे परिस्थितियॉं जिनमं भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

कृष्णा कुमार, निदेशक

DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE

(ADMINISTRATIVE BRANCH)

NOTIFICATION

Delhi, the 24th March, 2023

F. 44(292)/2017/DSW/Estt/RRs(MTS)/23631-23636.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, notification number G.S.R. 840 dated 13th July, 1959 and in supersession of notification no. F. No. 44(292)/2017/DSW/ Estt./RRs (MTS)/ 1329 and Dated 28.12.2020 issued by this Government, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment for the post of Multi Tasking Staff (MTS) in the Department of Social Welfare, Government of National Territory of Delhi, namely: -

1. **Short title and commencement: -** (i) These rules may be called the "Multi Tasking Staff Recruitment Rules, 2023.

2. **Number of Posts, Classification and level in the pay matrix: -** The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc: -** The method of recruitment to the said post, age limit, qualification and other matters connected therewith, shall as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification: -** No person-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person, shall be eligible for appointment to the said post;

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Powers to relax: -** Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by an order and for reasons to be recorded in wiring, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving: -** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions, required to be provided for the Scheduled Castes the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of the Post	Classification	Pay Band and Grade Pay	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for Direct Recruits
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
MTS	176* (One Seventy Six) (2023), Subject to variation depending on work load.	Group 'C' Non-Gazetted , Non Ministerial	Pay Matrix Level-1 (Rs. 18000-56900)	Not Applicable	Between 18 and 25 years. The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the DSSSB/ Competent Authority. In case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the employment exchange is asked to submit the names. (**Note:** -If recruitment is made through DSSSB or any other similar recruitment agencies in that case the age limit may be prescribed as 18-27 years otherwise the same may be kept as 18-25 years).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any
(7)	**(8)**	**(9)**
Matriculation or its equivalent qualification from a recognized Board/University.	Not applicable	Two Years

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation to be made
(10)	**(11)**
By Direct Recruitment	Not applicable

If a Departmental Confirmation Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	**(13)**
Composition of Group 'C' Departmental Confirmation committees (for confirmation). 1. Pr. Secretary/Secretary (AR) Chairperson. 2. Head of the Department concerned--- Member. 3. Deputy Secretary (GAD) --- Member. The senior most officer, will however, chair the meeting as per the above composition of DCC.	Not applicable

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

KRISHAN KUMAR, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2023.03.28 22:54:01 +05'30'